

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर


पीठासीन अधिकारी :- राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :- 03/2021

दायर तारीख : 09-02-2021

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर — प्रार्थी
बनाम
1. अजय गुप्ता पुत्र विशम्भरदयाल वगैरह जाति महाजन निवासी बीलवाडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
 2. कमली पत्नि भैरूराम वगैरह जाति गुर्जर निवासी बीलवाडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
 3. छीतरमल पुत्र भंवरा जाति गुर्जर निवासी नैकी की ढाणी तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
 4. कालू पुत्र गंगू वगैरह जाति गुर्जर निवासी बिलवाडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
 5. इन्दु पुत्री धर्मकुमार वगैरह जाति गुर्जर निवासी बयावास तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
 6. बन्नाराम पुत्र मेवाराम वगैरह जाति गुर्जर निवासी खैरवाडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
 7. अचरज कवंर पत्नि मोहनसिंह वगैरह जाति राजपूत निवासी बीलवाडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
 8. कमली देवी पत्नि भैरूलाल वगैरह जाति गुर्जर निवासी बिलवाडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
 9. इन्द्राज पुत्र रामसहाय वगैरह जाति गुर्जर निवासी बिलवाडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
 10. कल्लू पुत्र बंशी वगैरह जाति गुर्जर निवासी बीलवाडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
 11. फूली देवी पत्नि बंशीधर जाति गुर्जर निवासी बीलवाडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
 12. जगदीश प्रसाद पुत्र रामचन्द्र वगैरह जाति गुर्जर निवासी बीलवाडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
 13. छीतरमल पुत्र हरनाथ वगैरह जाति गुर्जर निवासी बयावास तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
 14. मामराज पुत्र साधू वगैरह जाति गुर्जर निवासी बीलवाडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। — अप्रार्थीगण

उपस्थित : — पैराकार सरकार, प्रार्थी
एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थीगण



उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

विराटनगर (जयपुर)
उपखण्ड अधिकारी

दिनांक :- 22-07-2021

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर ने ग्राम वीलवाडी तथा बयावास पटवार मण्डल वीलवाडी में स्थित खसरा नंबर 613/0.14, 611/0.11, 590/0.14, 790/0.50, 800/2.09, 791/1313/0.65, 792/0.47, 793/1.15, 798/0.60, 799/0.39, 767/1.24, 768/0.87, 766/0.76, 764/1.30, 765/0.55, 1361/271/0.13, 271/0.10, 274/0.19, 273/0.02, 272/0.03, 269/0.53, 268/0.61, 267/0.40, 266/0.42, 265/0.33, 264/0.47, 284/0.03, 285/0.45, 286/0.88, 221/0.04 हैक्टैयर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। तथा खसरा नंबर 1032/0.11, 1201/0.41, 984/0.44, 1155/0.07, 844/0.20, 842/3.23 हैक्टैयर भूमि राजकीय सवाईचक खाता दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी मुतनाजा 613/0.14 में से 0.14, 611/0.11 में से 0.11, 590/0.14 में से 0.14, 790/0.50 में से 0.04, 800/2.09 में से 0.16, 791/1313/0.65 में से 0.04, 792/0.47 में से 0.0150, 793/1.15 में से 0.0450, 798/0.60 में से 0.04, 799/0.39 में से 0.03, 767/1.24 में से 0.06, 768/0.87 में से 0.05, 766/0.76 में से 0.07, 764/1.30 में से 0.04, 765/0.55 में से 0.03, 1361/271/0.13 में से 0.01, 271/0.10 में से 0.01, 274/0.19 में से 0.02, 273/0.02 में से 0.0050, 272/0.03 में से 0.0050, 269/0.53 में से 0.02, 268/0.61 में से 0.03, 267/0.40 में से 0.05, 266/0.42 में से 0.02, 265/0.33 में से 0.03, 264/0.47 में से 0.0050, 284/0.03 में से 0.0050, 285/0.45 में से 0.04, 286/0.88 में से 0.03, 221/0.04 में से 0.01, 1032/0.11 में से 0.11, 1201/0.41 में से 0.41, 984/0.44 में से 0.44, 1155/0.07 में से 0.07, 844/0.20 में से 0.10, 842/3.23 में से 0.01 हैक्टैयर के संबंध में राजस्व विभाग (राजस्व/गुप-6) राजस्थान सरकार के परिपत्र : प. 3 (2) राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया है कि उक्त खसरा नम्बर नक्शा में दर्शित अनुसार ग्राम पंचायत वीलवाडी से पुलिस चौकी तथा बंजरा बस्ती तथा वीलवाडी बावडी से बयावास रोड तथा बयावास नदी से काली कोठी डाबर रोड तक आमरास्ते के रूप में उपयोग आ रहा है। अतः रास्ता सार्वजनिक के रूप में उपयोग में आ रहा है। अतः उक्त रास्ते को राज्य सरकार राजस्व विभाग (राजस्व गुप-6) राजस्थान जयपुर के परिपत्र : प 3 (2) राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड आम रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। संबंधित खातेदारान की तलबी की गई। अप्रार्थीगण सम्यक तामिल अनुपस्थित रहे। बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।


उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)



3. तहसीलदार विराटनगर ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक, मौका फर्द, नक्शा ट्रेस ग्राम बीलवाडी, नकल जमाबन्दी ग्राम बीलवाडी खाता संख्या 1, 2, 4, 199 संवत् 2076-2079, 'नक्शा ट्रेस ग्राम बयावास, नकल जमाबन्दी ग्राम बयावास 1, 50, 43, 178, 89, 99, 156, 215, 41, 168, 167, 180, 56, 45, 165, 20 संवत् 2076-2079 आदि पेश किये।
4. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी रिकार्ड एवं तथ्यों से यह साबित है कि ग्राम बीलवाडी तथा बयावास में स्थित खसरा 613/0.14 में से 0.14, 611/0.11 में से 0.11, 590/0.14 में से 0.14, 790/0.50 में से 0.04, 800/2.09 में से 0.16, 791/1313/0.65 में से 0.04, 792/0.47 में से 0.0150, 793/1.15 में से 0.0450, 798/0.60 में से 0.04, 799/0.39 में से 0.03, 767/1.24 में से 0.06, 768/0.87 में से 0.05, 766/0.76 में से 0.07, 764/1.30 में से 0.04, 765/0.55 में से 0.03, 1361/271/0.13 में से 0.01, 271/0.10 में से 0.01, 274/0.19 में से 0.02, 273/0.02 में से 0.0050, 272/0.03 में से 0.0050, 269/0.53 में से 0.02, 268/0.61 में से 0.03, 267/0.40 में से 0.05, 266/0.42 में से 0.02, 265/0.33 में से 0.03, 264/0.47 में से 0.0050, 284/0.03 में से 0.0050, 285/0.45 में से 0.04, 286/0.88 में से 0.03, 221/0.04 में से 0.01, 1032/0.11 में से 0.11, 1201/0.41 में से 0.41, 984/0.44 में से 0.44, 1155/0.07 में से 0.07, 844/0.20 में से 0.10, 842/3.23 में से 0.01 हैक्टियर भूमि सडक/आम रास्ता के रूप में काम आ रही है। अप्रार्थीगण द्वारा भी ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि मौके पर सडक/आम रास्ता बना हुआ नहीं है। चूंकि भूमि की किस्म परिवर्तित हो चुकी है। अतः न्यायालय भूमि की किस्म मौके अनुसार रिकार्ड में परिवर्तित किया जाना न्यायसंगत है। यह भी कि राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक : प 3 (2) राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 जारी कर निर्देशित किया गया है कि ऐसे स्थायी रास्ते जो राजकीय/निजी भूमियों में से चालू है, किन्तु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है, तथा ऐसे स्थायी सार्वजनिक रास्ते जो बाहरमासी है तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं है तथा आमजन के आने-जाने हेतु उपलब्ध है, ऐसे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60H, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार किया जावेगा। अतः ग्राम बिलवाडी तथा बयावास में स्थित खसरा नंबर 613/0.14 में से 0.14, 611/0.11 में से 0.11, 590/0.14 में से 0.14, 790/0.50 में से 0.04, 800/2.09 में से 0.16, 791/1313/0.65 में से 0.04, 792/0.47 में से 0.0150, 793/1.15 में से 0.0450/798/0.60 में से 0.04, 799/0.39 में से 0.03, 767/1.24 में से 0.06

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

768/0.87 में से 0.05, 766/0.76 में से 0.07, 764/1.30 में से 0.04, 765/0.55 में से 0.03, 1361/271/0.13 में से 0.01, 271/0.10 में से 0.01, 274/0.19 में से 0.02, 273/0.02 में से 0.0050, 272/0.03 में से 0.0050, 269/0.53 में से 0.02, 268/0.61 में से 0.03, 267/0.40 में से 0.05, 266/0.42 में से 0.02, 265/0.33 में से 0.03, 264/0.47 में से 0.0050, 284/0.03 में से 0.0050, 285/0.45 में से 0.04, 286/0.88 में से 0.03, 221/0.04 में से 0.01, 1032/0.11 में से 0.11, 1201/0.41 में से 0.41, 984/0.44 में से 0.44, 1155/0.07 में से 0.07, 844/0.20 में से 0.10, 842/3.23 में से 0.01 हैक्टेयर भूमि की किस्म गैरमुमकीन रास्ता अंकित किया जाकर नया खसरा नम्बर कायम किया जावे तथा शेष भूमि पूर्वानुसार खातेदारी में यथावत दर्ज रहे।

आदेश

प्रार्थी, राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बिलवाडी तथा बयावास, में स्थित खसरा नंबर 613/0.14 में से 0.14, 611/0.11 में से 0.11, 590/0.14 में से 0.14, 790/0.50 में से 0.04, 800/2.09 में से 0.16, 791/1313/0.65 में से 0.04, 792/0.47 में से 0.0150, 793/1.15 में से 0.0450, 798/0.60 में से 0.04, 799/0.39 में से 0.03, 767/1.24 में से 0.06, 768/0.87 में से 0.05, 766/0.76 में से 0.07, 764/1.30 में से 0.04, 765/0.55 में से 0.03, 1361/271/0.13 में से 0.01, 271/0.10 में से 0.01, 274/0.19 में से 0.02, 273/0.02 में से 0.0050, 272/0.03 में से 0.0050, 269/0.53 में से 0.02, 268/0.61 में से 0.03, 267/0.40 में से 0.05, 266/0.42 में से 0.02, 265/0.33 में से 0.03, 264/0.47 में से 0.0050, 284/0.03 में से 0.0050, 285/0.45 में से 0.04, 286/0.88 में से 0.03, 221/0.04 में से 0.01, 1032/0.11 में से 0.11, 1201/0.41 में से 0.41, 984/0.44 में से 0.44, 1155/0.07 में से 0.07, 844/0.20 में से 0.10, 842/3.23 में से 0.01 हैक्टेयर भूमि नक्शा में दर्शित अनुसार की किस्म गैरमुमकीन रास्ता अंकित किया जाकर नया खसरा नम्बर कायम किया जावे तथा शेष भूमि पूर्वानुसार खातेदारी में यथावत दर्ज रहे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 22.07.2021 को सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

